

स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय  
मंत्रालय  
वल्लभ भवन, भोपाल-462004

क्रमांक-एफ-1-59-2009/20-1  
प्रति,

भोपाल, दिनांक 06.02.2010

समस्त कलेक्टर्स,  
आयुक्त, लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश.  
आयुक्त, राज्य शिक्षा केन्द्र, भोपाल.  
समस्त, संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण,  
समस्त, जिला शिक्षा अधिकारी.

विषय- कक्षा 01 से 08 वीं के स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति पे (-) पेंशन के आधार पर करने विषयक।

कक्षा 01 से 08 वीं के शालाओं में शिक्षकों की कमी को देखते हुए यह विचार किया गया है कि शुद्ध रूप से रिक्त पदों की पूर्ति ऐसे सेवानिवृत्त शिक्षकों से की जावे जो पद रिक्त के गांव/नगर में उपलब्ध हों। ऐसे सेवानिवृत्ता शिक्षकों को पद के वेतनमें से देय पेंशन घटाकर अस्थाई नियुक्ति निश्चित समयावधि जो शासन द्वारा समय-समय पर निर्धारित की जावेगी, के लिये की जा सकेगी। कक्षा 01 से 08 वीं के स्कूलों में शिक्षकों की कमी की पूर्ति के लिए यह निर्णय लिया गया है कि निम्नलिखित शर्तों पर रिक्त पदों की पूर्ति सेवानिवृत्त शिक्षकों से की जा सकती है :-

1. कक्षा 01 से 08 वीं तक के शासकीय शिक्षक जो अन्त्र संलग्न है उन्हें छात्रों की औसत उपस्थिति के अनुसार शिक्षकों के पदों का युक्तियुक्तकरण कर अतिशेष शिक्षकों की पदस्थापना करने के बाद रिक्त रहे पदों पर इन कक्षाओं के सेवानिवृत्त हुए शासकीय अध्यापकों को संविदा पर पे (-) पेंशन के आधार पर नियुक्त किया जा सकता है।
2. ऐसे सेवानिवृत्त शिक्षक इस योजना में पात्र होंगे जो शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्था है।
3. सेवानिवृत्त शिक्षक की आयु अधिकतम 70 वर्ष तक हो सकती है।
4. सेवानिवृत्त शिक्षक सेवानिवृत्ति उपरांत अध्यापन कार्य में रुचि रखते हों एवं लिखित में सहमति प्रदान करें।
5. सेवानिवृत्त शिक्षक के स्वास्थ्य के कारण यदि वे अध्यापन कार्य में असमर्थ होते है तो वे 01 माह की पूर्व सूचना देकर ऐसी नियुक्ति समाप्त करवा सकते है अन्यथा 01 माह के देय भुगतान को जमा कराकर तुरंत रिलीव हो सकते है।
6. शुद्ध रूप से रिक्त पद पर ही ऐसी अस्थाई नियुक्तियां की जा सकेगी। शुद्ध रूप से रिक्त पद का तात्पर्य है कि उस पद पर भर्ती/पदस्थ शिक्षक कहीं अटैच/अन्य स्थान पर मौखिक व लिखित आदेश पर कार्यरत न हो। अवकाश के कारण पद रिक्त नहीं माना जावेगा।
7. सेवानिवृत्त शिक्षकों की ऐसी नियुक्ति छात्रों को पढाने के लिये केवल स्कूलों में ही की जा सकेगी।
8. ऐसी नियुक्तियां शिक्षण सत्र के लिए होगी-ग्रीष्म अवकाश के दौरान कोई नियुक्ति नहीं की जाएगी।


9. सेवानिवृत्त शिक्षकों को केवल शासकीय सेवकों के लिए निर्धारित दिवसों के आकस्मिक अवकाश एवं ऐच्छिक अवकाश की पात्रता हों।
10. शासकीय सेवकों को उपलब्ध किसी भी अन्य लाभ की पात्रता सेवानिवृत्त शिक्षकों को नहीं होगी।
11. रिक्त पद पर भर्ती होते ही ऐसे सेवानिवृत्त शिक्षक की नियुक्ति स्वमेव निरस्त मानी जायेगी और संबंधित को वेतन संबंधी कोई भुगतान नहीं किया जाएगा। उक्त आदेश हेतु वित्त विभाग की सहमति सी०आर०-797/ब-3/चार दिनांक 16.12.2009 द्वारा प्राप्त की गई है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार  
हस्ता/-  
(एस०एन० शर्मा)  
उप सचिव  
मध्यप्रदेश शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग

लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश  
गौतम नगर, भोपाल 462 021  
दूरभाष- 91-0755-2583659 फेक्स- 91-0755-2583651  
ई-मेल [dpimp@sancharnet.in](mailto:dpimp@sancharnet.in)

पृष्ठां.क्रमांक विद्या/ई/एन/2010/353 भोपाल, दिनांक 16-4-010  
प्रतिलिपि:-

- 1- सचिव, मान०मुख्यमंत्री जी, म०प्र०.शासन, भोपाल ।
  - 2- विशेष सहायक, मंत्री स्कूल शिक्षा विभाग, भोपाल म.प्र. ।
  - 3- प्रमुख सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, म.प्र. भोपाल ।
  - 4- समस्त आयुक्त, मध्यप्रदेश ।
  - 5- आयुक्त, आदिवासी विकास, म.प्र. ।
  - 6- प्रबंध संचालक, म.प्र.पाठ्य पुस्तक निगम, म.प्र. भोपाल ।
  - 7- समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश ।
  - 8- संचालक, म.प्र.राज्य ओपन स्कूल भोपाल ।
  - 9- सचिव, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र. भोपाल ।
  - 10- समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत मध्यप्रदेश ।
  - 11- समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, मध्यप्रदेश ।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

  
(डॉ० कौशल किशोर पाण्डेय)  
संयुक्त संचालक  
लोक शिक्षण, म.प्र.